कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विनीता रानी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16155 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/संयुक्त चिकित्सालय रामनगर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कैथरीन बैनजामिन	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	उप जिला(बेस) चिकित्सालय हल्द्वानी।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16157 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती छाया त्रिपाठी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला(बेस) चिकित्सालय हल्द्वानी।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16159 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विधि सक्सैना	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1616 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरोज नेगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16163 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनिता पंवार सेमवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1665 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्प लता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल।	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16167 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रूचि रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

16169

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ ~~16169~~ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पौड़ी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/पौड़ी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उर्मिला देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	उप जिला चिकि0 सितारगंज	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16171 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधसिंह नगर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकि0 सितारगंज।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधसिंह नगर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जोयस संगीता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16173 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीना जोशी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकि0 रामनगर, नैनीताल।	जिला चिकि0 अल्मोड़ा	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16175 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा/संयुक्त चिकि0 रामनगर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जिला चिकि0 रूद्रपुर।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1617 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/रूद्रपुर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शान्ति सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	जिला चिकि0 रूद्रपुर	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती नन्दी देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 रूद्रपुर	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16185 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 रूद्रपुर/उप जिला चिकि0 रामनगर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती पुष्पा यादव	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16187 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 रामनगर/हल्द्वानी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दया जोशी/काण्डपाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती रीना बर्ड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16183 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 रामनगर/महिला चिकि0 हल्द्वानी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/xxx–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सोनिया रानी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रूड़की	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16179 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रूड़की/ऋषिकेश।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती लक्ष्मी रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16180 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 गोपेश्वर/उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मेला) चिकित्सालय, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16079 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला(मेला) चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनीता गिरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1608 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती भारती रस्तोगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16083 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रितु बोरा डेविड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16085 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/xxx–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विद्यावती बिष्ट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16087 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी/रानीखेत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रेमलता बोरा/रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16089 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रानीखेत।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जानकी जनोटी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जी0बी0 पन्त चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16091 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी0बी0 पन्त चिकित्सालय नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीना रानी पंचोली	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 11093 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शारदा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मेला) चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16095 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/उप जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उषा आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16097 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रानीखेत/क्षयरोगाश्रम भवाली।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मानती सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16099 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी अधिकारी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16101 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/xxx–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली चौहान	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16103 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता नेगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16105 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती महामाया गौतमी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16109 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय चम्पावत।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती देवकी आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1611 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूनम आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16113 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता दास	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रूद्रपुर	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16115 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रूद्रपुर/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 11 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता गिरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मेला) चिकित्सालय हरिद्वार	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16117 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोपेश्वर/उप जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोंषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीतू भट्ट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रूद्रपुर।	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16119 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रूद्रपुर/पिथौरागढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मधुलिका	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16121 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शान्ति आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल।	जिला चिकित्सालय चम्पावत।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16123 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शालिनी त्यागी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16125 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीरज माग्रेट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16127 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सिल्विया	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	राज्य मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16129 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/राज्य मानसिक चिकि0 सेलाकुई।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुमनलता भारद्वाज	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16131 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुम खण्डूडी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16133 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रोशनी गुसांई	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	सा0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मधारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16135 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुजाना सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 बैजनाथ, बागेश्वर।	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16137 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीता देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16139 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय, रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16141 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्पा थापा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग।	राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेलाकुई।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16143 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परियार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग/राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेलाकुई।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–उप/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा प्रसाद	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जिला चिकित्सालय रूद्रपुर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–उप/पैरा/उप0/21/2025/ 16145 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/रूद्रपुर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका ठाकुर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16147 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अल्पना हनी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16149 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला धिकित्सालय रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता ऑर्थर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 1615 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली पीटर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	उप जिला(मेला) चिकित्सालय हरिद्वार।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16153 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर/हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)